

पंजीयन क्रमांक 855/08

दिनांक 25-2-2008

डिस्पेच नं. 2007

दिनांक 25.2.2008

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

## पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र

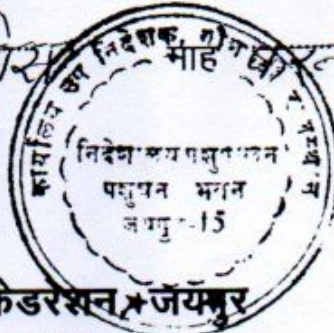


सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर

श्री आदिल नाथ गोशाला संस्थारव्याला म्याजलारतहसील जैसलमेरजिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।चूंकि श्री गोरख नाथ डाक्टर न्यासी (ट्रस्टी) गोशालाश्री आदिल नाथ गोशाला संस्था, रव्याला म्याजलार ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 25-2-2008वर्ष दो हजार आठ

गोशाला, जयपुर  
पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक  
गोशाला राजस्थान, जयपुर  
25-2-2008

सौजन्य से :

राजस्थान स्टेट गोशाला फेडरेशन, जयपुर

(राजस्थान गोशाला एक्ट 1960 की धारा 3 के निर्देशानुसार गठित)

सी-120/121, गौमाता भवन, बजाज नगर, जयपुर-15 फोन : 2706261

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....47...../जैसल/2027-...2028...

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बादलनाथ जी शाला...  
संस्था शाला, म्माजलार..... जिला जैसलमेर का  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक.....29.....माह...दिसम्बर.....सन् दो हजार 27..को  
जैसलमेर में दिया गया ।



  
(रमेश कुमार खाण्णा)  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जैसलमेर